न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 57/2019 निर्णय दिनांक :— 12.04.2022

उनवानी दावा :

1. मोती पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रणजीत पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. लालसिंह पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—अपीलांटस—

बनाम

1. दयाला पुत्र भीवा जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/1 ग्यारसी पत्नी दयाला जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/2 महेन्द्र पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/3 कप्तान उर्फ रतिराम पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/4 रेखा पुत्री दयाला जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

2. बाबू पुत्र भीवां जाति मीणा निवासी उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. गेगराज पुत्र भीवां जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. नारायणसिंह पुत्र राजू लाल जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. केसर सिंह पुत्र राजू लाल जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. शिवराज सिंह पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा उम्र वालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. दुर्गालाल पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

— प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
श्री अशोक गुप्ता
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 व 5 ता 7

Bhiber

—:निर्णयः—

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली माननीय न्यायालय आर. ए. ए. टोंक ने न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में मृतक दयाला के वारिसान को विधिवत रूप से रिकॉर्ड पर लिया जावे, तथा उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, अपीलांटस एवं रेस्पों0 सं0 1 स्व0 जगदेवा पुत्र देवबख्श के वारिसान है। गै0मु0 चाह साबिक ख0नं0 377 व 378 जिसके नये नम्बर 818/4362 बनाए गए थे, किन्तु बाद ग्राम दातां को राजस्व गांव बना दिये जाने के कारण नये नम्बर 161 रकबा 0.01 है0 ग्राम दातां बना दिए गए है, उक्त ख0नं0 जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036 में साबिक ख0नं0 377 गै0मु0 चाह खाना पुत्र जगदेवा हिस्सा 1/2 दर्ज था, खाना के मरने के बाद अपीलांटस एवं रेस्पों0 सं0 1 उक्त चाह पर 1/2 हिस्से का उपयोग व उपभोग कर रहे है, हाल रिकार्ड में अपीलांटस एवं रेस्पों0 सं0 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज कर रखा है, जो गलत है, क्योंकि अपीलांटस एवं रेस्पों0 सं0 1 का 1/4 हिस्सा न होकर 1/2 है, उक्त चाह में 3/4 हिस्सा रेस्पों0 के नाम दर्ज कर दिया गया जिसमें 1/4 हिस्सा तो भीवां के वारिसान का और 1/4 हिस्सा राजू लाल के वारिसान का व 1/4 हिस्सा श्रीकिशन के वारिसान का दर्ज किया गया है, उक्त चाह अपीलांटस एवं रेस्पों0 सं0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज करने के लिए एक वाद उद्घोषणा, खातेदारी का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया था। वादीगण विवादित गै0मु0 चाह में 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार है, रेस्पों0 ने मिली भगत कर उक्त निर्णय पारित करवाया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू—1 मोती पुत्र खाना जाति मीणा आयु साल निवासी सांवतगढ(दांता) तहसील देवली, पी. डब्ल्यू—2 धर्मसिंह मीणा पुत्र मोतीलाल जाति मीणा उम्र 46 वर्ष निवासी दांता तहसील देवली जिला टोंक पी. डब्ल्यू—3 राधाकिशन पुत्र नेहनू राम जाति मीणा उम्र 71 वर्ष निवासी

सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक का पेश किये। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से ने वाद के तथ्यो को ही अपने शपथ पत्र में पेश किये है।

पी. डब्ल्यू–1 मोती पुत्र खाना जाति मीणा आयु साल निवासी सांवतगढ(दांता) तहसील देवली ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2033–36, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–4 व 5 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–6 हाल जमाबन्दी पेश किये है।

साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जगदेवा का पुत्र खाना था जिसके चार पुत्र मोहन (लाओलाद मृतक), मोती, रणजीत, लालसिंह हुए। गै. मु. चाह ख. नं. 161 रकबा 0.01 है0 ग्राम दांता मे थी। जगदेव के मरने के बाद खाना के ख. नं. 161 पर 1/2 हिस्स के रूप में काबिज काश्त था। परन्तु सेटलमेन्ट ने वादीगण जो खाना के पुत्र है के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। सेटलमेन्ट को जांच कर पुरानी प्रविष्टी को ही दोहराना था और उसी अनुसार वादीगण के नाम अंकन होना चाहिए था परन्तु सेटलमेन्ट ने वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा का अंकन नही कर 1/4 हिस्से का अंकन कर दिया जिसका सेटलमेंन्ट को कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस कारण से वाद न्यायालय में पेश किया परन्तु 2015 में राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रतिवादीगण ने बिना सबकी सहमति से वाद को गलत रूप से डिक्री करवा लिया जिसके कारण वादीगण को माननीय न्यायालय आर.ए.ए टोंक में अपील करनी पड़ी। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वाद वादीपक्ष डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी के बहस व वाद मिमो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में वाद वर्णित ख. नं. 377 काना पुत्र जगदेवा हि. 1/2 के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में वादीगण के नाम ख. नं. 161 रकबा 0.01 है0 गै. मु. चाह हिस्सा 1/4 का अंकन है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2065–68 के ख. नं. 818/4362 रकबा 0.01 है0 गै. मु. चाह में वादीगण का हिस्सा 1/4 का अंकन है। प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 378 मी. व 377 मी. से ख. नं. 818/4362 व प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल 2069–72 के अनुसार ख. नं. 818/4362 से ख. नं. 161 रकबा 0.10 है0 बने है। उक्त दस्तावेजात व साक्ष्यो का विवेचन करने पर स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता खाना के नाम ख. नं. 377 गे. मु. झरा दर्ज रिकॉर्ड था जिसमें हिस्सा 1/2 अंकित था। अंकित हिस्से अनुसार ही ख. नं. 377 व 378 से ख. नं. 818/4362 रकबा 0.01 है0 गै. मु. चाह तथा ख. नं. 818/4362 से ख. नं. 161 रकबा 0. 01 गै. मु. चाह बने है। खाना के चार पुत्रो में से एक पुत्र लाओलाद फौत हो गया जिसके हिस्से के हकदार कानूनन वादीगण ही है। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना जांच

पड़ताल किये वादीगण के नाम 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्से का अंकन कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाना विधिसम्मत है। राजस्व लोक अदालत कैम्प दिनांक 15.07.2015 के निर्णय अवलोकन पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं होने से निर्णय को दुरूस्त किया जाना न्यायासंगत प्रतीत होता है। वादीगण ने साक्ष्य व सबूत के माध्यम से वाद को बखूबी साबित किया है। अतः जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 218 के ख. नं. 161 रकबा 0.01 है. में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्से स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की उद्घोषणा की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
मजं अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम
देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

1. मोती पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रणजीत पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. लालसिंह पुत्र खाना जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अपीलांटस–

बनाम

1. दयाला पुत्र भीवा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/1 ग्यारसी पत्नी दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/2 महेन्द्र पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/3 कप्तान पुत्र दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/4 रेखा पुत्री दयाला जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

2. बाबू पिसरान भीवां जाति मीणा निवासी उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. गेगराज पिसरान भीवां जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. नारायणसिंह पिसरान राजू लाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. केसर सिंह पिसरान राजू लाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. शिवराज सिंह पिसरान श्रीकिशन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता पोस्ट सांवतगढ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. दुर्गालाल पिसरान श्रीकिशन जाति मीणा निवासी सांवतगढ हाल निवासी दातां तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रतिवादीगण–

<u>दावा बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 57 सन् 2019

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4 व 2 ता 7 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 218 के ख. नं. 161 रकबा 0.01 है. में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 1/12 हिस्से स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की उद्घोषणा की जाती है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....
.......................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 04 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)........

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए